

काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय



BANARAS HINDU
UNIVERSITY

सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल(क)
CENTRAL HINDU GIRLS' SCHOOL (K)

दिनांक: 25.09.2021

SCHOOL ENTRANCE TEST (SET) – 2021

**Cut off Marks (%) for 3rd counselling in Central Hindu Girls' School, BHU, Kamachha,
Varanasi**

Class – XI Commerce

Date - 30.09.2021 (Thursday)




Category	Cut off Marks (%)
GEN	Below 91.2% to 89.6 % and above


1 single
Sample 5
ASP
27/9/21

Anjali Bajpey
(प्रो. अंजली बाजपेई)
प्राचार्या

सत्र 2021-22 में कक्षा 11 हेतु काउन्सेलिंग/प्रवेश सम्बन्धित आवश्यक सूचना:-

1. Time of Counselling: **10:00 AM to 12:00 Noon**
2. Venue : **Central Hindu Girls' School, Kamachha, Varanasi**
3. Fee Approx. : **Rs. 4,500/- + Rs.3,000/-** (If taken Computer Science as a subject in class XI)
4. SET-2021 रजिस्ट्रेशन फार्म (Registration Form) व पासपोर्ट साईज की 3 रंगीन फोटो।
5. X पास का रिजल्ट (मूलप्रति एवं सत्यापित छाया प्रति),
6. OBC-NCL/SC/ST/दिव्यांग कैटेगरी (PC-OH) के छात्रा के नाम से केन्द्र सरकार के निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उनकी कैटेगरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (मूलप्रति एवं छायाप्रति), जो एक वर्ष से पूर्व का निर्गत न हो। प्रवेश तिथि पर सम्बन्धित कटेगरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रवेश नहीं लिया जायेगा व अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा।
7. दिव्यांग कैटेगरी (PC-OH) के प्रमाण पत्र में विकलांग का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक का उल्लेख हो। (PC-OH) के अभ्यर्थियों को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा जहाँ दिव्यांगता का सत्यापन/अनुमोदन होने के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित माना जायेगा।
8. BHU इम्पलाई वार्ड कैटेगरी के लिए केवल एल.टी.सी. सेल/ERP का ही इम्पलाई सर्टिफिकेट (मूल प्रति) मान्य होगा।
9. प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी दिन फीस जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
10. अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं छाया प्रति साथ लायें।
11. पूर्व विद्यालय (जहाँ छात्रा X में अध्ययनरत थीं) द्वारा निर्गत टी.सी. (मूलप्रति), एवं सी.बी.एस.ई. के अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड हेतु माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (Countersigned) होनी चाहिए तथा प्रवेश के समय टी.सी. उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
12. पूर्व विद्यालय (जहाँ छात्रा X में अध्ययनरत थी) द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (मूलप्रति)।
13. काउन्सेलिंग की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी।
14. प्रवेश की निर्धारित तिथि एवं समय पर केवल एक अभिभावक (माता/पिता) अभ्यर्थी के साथ उपस्थित रहेंगे।
15. काउन्सेलिंग में बुलाया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है।
16. समान अंक होने की स्थिति में नियमानुसार किसी एक का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
17. प्रवेश/काउन्सेलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश/नामांकन से सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है।
18. प्रवेश के समय कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है।


(प्रो. अंजली बाजपेई)
प्राचार्या